न्यायालय तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्र0स0– 08/02

पीठासीन अधिकारी
छगनलाल रेगर
(आर0टी0एस)

अनवान

1– मांगीलाल पिता धन्ना कुम्हार निवासी नादंशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

(प्रार्थी)

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा

(अप्रार्थी)

निर्णय नामान्तरकरण संख्या 735 दिनाकं 29.12.2010 ग्राम नादंशा

निर्णय दिनाकं– 14.06.2018

प्रकरण में सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री मांगीलाल पिता धन्ना कुम्हार निवासी नादंशा द्वारा एक अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 735दिनाकं 29.12.2010 न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय,भीलवाड़ा में प्र0स0 47/11 से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नादंशा के हाल आराजी न0 2131 रकबा 0.01 हे0 एवं आराजी न0 2132 रकबा 0.02 हे0 कुल किता 02 रकबा 0.03 हे0 स्थित है। जो मृतक खातेदार शंकरलाल पिता कालूराम कुम्हार के नाम दर्ज रेकार्ड़ है। मृतक खातेदार शंकरलाल का ला औलाद निधन हो गया। शंकरलाल ने अपने जीवनकाल में प्रार्थी के पक्ष में एक वसीयतनामा दिनाकं 22.03.2003 को लिपिबद्व करा उसे पंजीयन कराया जिससे उक्त आराजीयात का एक मात्र स्वामी प्रार्थी ही है। प्रार्थी ने शंकरलाल के निधन के बाद प्रशासन गांवो के सगं अभियान में उक्त वसीयतनामा प्रस्तुत कर वसीयत अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज कराने बाबत निवेदन किया जिसे बिना किसी आधार के खारिज कर दिया गया जो अपास्त योग्य है। न्यायालाय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 47/11 में दिनाकं 28.02.2012 को निर्णय कर अपील को स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 735 ग्राम नादंशा में दिनाकं 29.12.2017 का आदेश अवास्त करते हुये निर्देशित किया गया कि प्रकरण में पक्षकारान को समुचित रूप से साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये अजसरे नव निर्णय पारित किया जावे।

उक्त निर्णय कि पालना में न्यायालय हाजा में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को जवाब प्रस्तुत करने व आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने बाबत नोटिस जारी किया गया जो बाद तामील प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी श्री मांगीलाल पिता धन्ना कुम्हार नि0 नादंशा द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खातेदार शंकरलाल ने प्रार्थी के पक्ष में दिनाकं 22.02.2003 को एक पंजीकृत वसीयत पत्र लिपिबद्व किया गया तथा वसीयत पत्र में अंकित भूमियों पर प्रार्थी का ही कब्जा चला आ रहा है। मृतक शंकरलाल का प्रार्थी एकमात्र वारिस हुं। मृतक शंकरलाल ने दिनाकं 22.02.2003 को वसीयत पत्र मैंरे पक्ष में लिपिबद्व करा पंजीयन कराया गया जिसमें टाईपिगं त्रुटि से शंकरलाल के पिता का नाम देवा अंकित कर दिया गया मृतक शंकर लाल जो देवा जी के गोद जाने से उसके गोद पिता देवा जी थें जिससे वसीयत में पिता का नाम देवा अंकित हो गया जबकि शंकर पिता कालु व शंकर पिता देवा एक ही व्यक्ति है। अतः वसीयत अनुसार मृतक शंकर के नाम दर्ज भूमियां मुझ प्रार्थी के नाम दर्ज करने का आदेश फरमावे। उक्त जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लगातार

प्रकरण में साक्षीगण शंकरलाल पिता नारू सुथार व चावण्ड़सिंह पिता मोहनसिंह चुण्डावत निवासी नादंशा द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि शंकरलाल को मैं जानता हुं जिनका निधन हो गया है, शंकरलाल कुम्हार के द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमि पर प्रार्थी मांगीलाल पिता धन्ना कुम्हार का ही कब्जा चला आ रहा है। मृतक शंकरलाल पिता देवा मुम्हार के प्राकृतिक पिता का नाम कालु था जबकि नादंशा में देवा के गोद जाने से उसे शंकर पिता देवा भी कहते थे। मृतक शंकरलाल ने वसीयत प्रार्थी मांगीलाल उर्फ मागुं के पक्ष में ही की गई है जिससे मृतक शंकर के द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज की जावे। उक्त बयान शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में पटवारी हल्का नादंशा से रिपोर्ट प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार जाहिर आया कि मृतक शंकरलाल के प्राकृतिक पिता का नाम कालु प्रजापत है जो ग्राम करेड़ा के निवासी है। मृतक शंकरलाल गोद गया जिसे गोद पिता का नाम देवा पिता मोती प्रजापत है। मृतक शंकरलाल कुम्हार के नाम कृषि भूमि है जिस पर वर्तमान में प्रार्थी मांगीलाल का ही कब्जा है। मृतक शंकरलाल कुम्हार की समस्त चल–अचल सम्पत्ति का उपयोग–उपभोग वर्तमान में प्रार्थी मांगीलाल ही कर रहा है। रिपोर्ट पटवारी नादंशा, मौका पर्चा व नकल जमाबन्दी शामिल पत्रावली किये गये।

पत्रावली व रेकार्ड़ का अवलोकन किया गया जिससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हुं कि मृतक शंकरलाल पिता देवा व शंकरलाल पिता कालू जो एक ही व्यक्ति है। तथा शंकरलाल द्वारा प्रार्थी के पक्ष में वसीयत पत्र पंजीबद्व कराया गया जिसमें पिता का नाम देवा टाईपिगं त्रुटि से अंकित हो गया जबकि वसीयत कर्ता एक ही व्यक्ति होकर वसीयतकर्ता शंकरलाल के नाम वर्तमान में ग्राम नादंशा के आराजी न0 2131 रकबा 0.01 हे0 एवं आराजी न0 2132 रकबा 0.02 हे0 कुल किता 02 रकबा 0.03 हे0 दर्ज रेकार्ड़ है। जिनका उपयोग–उपभोग भी प्रार्थी द्वारा ही किया जा रहा है। तथा वसीयत अनुसार मृतक शकंरलाल की समस्त चल–अचल सम्पत्ति का उपयोग–उपभोग वर्तमान में प्रार्थी मांगीलाल के द्वारा ही किया जा रहा है। अतः मुताबिक वसीयत अनुसार ग्राम नादंशा के आराजी न0 2131 रकबा 0.01 हे0 एवं आराजी न0 2132 रकबा 0.02 हे0 कुल किता 02 रकबा 0.03 हे0 भूमि प्रार्थी मांगीलाल पिता पन्नालाल कुम्हार के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः ग्राम नादंशा प0ह0 नादंशा के खाता स0 721 में वर्णित आराजी न0 2131 रकबा 0.01 हे0 व आराजी न0 2132 रकबा 0.02 हे0 कुल किता 02 रकबा 0.03 हे0 भूमि खातेदार शंकरलाल पिता कालू कुम्हार के बजाय मांगीलाल पिता पन्ना कुम्हार नि0 नादंशा के नाम दर्ज किये जाने का आदेश एतद् द्वारा दिया जाता है। पटवारी हल्का नादंशा को उक्तानुसार पालना हेतु पृथक से लिखा जावे।

निर्णय आज दिनाकं 14.06.2018 को लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तमकील नम्बर से कम हों

तहसीलदार सहाड़ा
मुकाम गंगापुर